न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 20/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– बद्रीनारायण पुत्र हमीराराम 2– सुखाराम पुत्र हमीराराम 3– गणेशराम उर्फ गणपतराम पुत्र हमीराराम 4– रामेश्वरलाल पुत्र हमीराराम 5– खीयाराम पुत्र हमीराराम जाति ब्राह्मण निवासी चाम्पासर तहसील बाप जिला जोधपुर		1– भगवानाराम पुत्र गंमाबिशन 2– शंकरलाल पुत्र गंगाबिशन 3– भूराराम पुत्र गंगाबिशन 4– अलसीराम पुत्र बींजाराम 5– चेतनराम पुत्र बींजाराम 6– माधुराम पुत्र जगदीशराम 7– ओंकारमल पुत्र जगदीशराम 8– रूगनाथराम पुत्र जगदीशराम 9– दुलीचंद पुत्र जगदीशराम जातियान ब्राहृमण निवासी चाम्पासर तहसील बाप, जिला जोधपुर 10–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–1–2018 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2018 अनवान भगवानाराम बनाम शंकरलाल वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री अजीत दैया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 9 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 10 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 4–7–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 भगवानाराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चाम्पासर तहसील बाप के खसरा नबर 254/1 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 9 के संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि की पैमाईश करवान बाबत तहसीलदार बाप के समक्ष आवेदन करने पर तहसीलदार बाप के आदेश की पालना मे दिनांक 15–2–2017 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया तथा मौका फर्द तैयार कर तहसीलदार बाप के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार बाप ने राजस्व रेकर्ड नक्शा मे मौका फर्द मे दर्शाये नजरी नक्शा अनुसार लाल स्याही से खसरा नंबर 254/1 की उक्त भूमि का अंकन करने का आदेश पारित किया गया जिसकी पालना मे राजस्व रेकर्ड नक्शा मे उक्त खसरा नंबर 254/1 रकबा 13.19 बीघा भूमि अंकन किया जा चुका है तथा उसके अनुसार प्रार्थी ने अपने उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि मे अपने हद की भूमि की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–1–2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ग्राम चाम्पासर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील बाप स्थित भूमि खसरा नंबर 254/1 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि की पैमाईश अनुसार पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुए पत्थरगढी की कार्यवाही करने बाबत तहसीलदार बाप को आदेश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम चांपासर के खसरा नंबर 254 एवं 254/1 की तरमीम की हुई नही है जिसकी पुष्टि स्वरूप फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21–12–2016 को पढकर सुनाया तथा यह भी कथन किया कि अपीलांटगण द्वारा इस भूमि के विभाजन बाबत एक दावा सहायक कलेक्टर फलोदी के न्यायालय मे प्रस्तुत किया हुआ है, जो विचाराधीन होना बताते हुए आगे कथन किया कि खसरा नंबर 254/1 के सह खातेदार भगवानाराम वर्तमान रेस्पो0 नंबर 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का दुरभि संधि करते हुए प्रस्तुत किया जिसमे केवल अपने ही परिवार के सदस्यो को अर्थात खसरा नंबर 254/1 के सह खातेदार को हीं पक्षकार बनाया तथा खसरा नंबर 254 के खातेदारो को पक्षकार नही बनाकर अधीनस्थ न्यायालय से मात्र 25 दिन मे अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलांटगण खसरा नंबर 254 के खातेदार है तथा पहले से ही रेस्पो0 ने धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र संख्या 47/2017 प्रस्तुत कर रखा था परंतु उक्त तथ्य को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नया प्रार्थना पत्र मिलावटी तरीके से प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी तहसीलदार अथवा पटवारी से रेकर्ड बाबत कोई रिपोर्ट तलब किये बिना जल्दबाजी मे अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 254/1 के संदर्भ मे विभाज़न का एक वाद पहले से ही इन्ही पक्षकारो के बीच अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है ऐसे मे उक्त वाद के विचाराधीन रहते पत्थरगढी का आदेश दिया जाना न्यायोचित नही था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–1–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस एवं प्रत्युत्तर मे कथन

नही की है तथा कथन किया कि ग्राम चाम्पासर के मूल खसरा नंबर 254 के संबंध मे आपसी राजीनामा से पारिवारिक बंटवाडा होने से दिनांक 18–5–1993 को बंटवाडा का नामांतरकरण संख्या 540 भरा जाकर स्वीकृत हुआ था तथा बंटवाडा अनुसार खसरा नंबर 254/1 की 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि रेस्पो0 संख्या 1 से 9 के खातेदारी अधिकारो एवं कब्जा काश्त की होने से उक्त भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे मे भूल से नही की जाने के कारण माफिक बंटवाडा उक्त भूमि की नक्शे मे तरमीम का निवेदन किया जिस पर बाद जांच उक्त खसरा नंबर की नक्शा ट्रेस मे तरमीम हो चुकी है तथा यह भी कथन किया कि पारिवारिक बंटवाडे के आधार पर स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 540 को अब तक चुनौती नही दी गई है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 गण के खसरा नंबर 254/1 माफिक बंटवाडा दिनांक 18–5–93 मे दर्शित पूर्वी तरफ का हिस्सा खसरा नंबर 253 के चिपता हुआ दर्शाया होने से राजस्व नक्शा ट्रेस मे तरमीम की गई है । वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण ने उक्त बंटवाडा विलेख दिनांक 18–5–93 को निरस्त करवाने बाबत एक वाद सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है इसलिए पारिवारिक बंटवाडा आज भी प्रभाव मे है तथा यह भी कथन किया कि विचाराधीन बंटवाडे के दावे के निर्णय से ही हक अधिकारो का निर्धारण होना है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर जिसमे सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15–2–2017 अनुसार पत्थरगढी का निवेदन करने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–1–2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ग्राम चाम्पासर पटवार क्षेत्र चाम्पासर तहसील बाप स्थित भूमि खसरा नंबर 254/1 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि की पैमाईश अनुसार पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुए पत्थरगढी की कार्यवाही करने बाबत तहसीलदार बाप को आदेश पारित किये गये है जो विधि अनुकुल होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 भगवानाराम की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चाम्पासर तहसील बाप के खसरा नबर 254/1 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा संयुक्त खातेदारी की भूमि मे अपने हद की भूमि की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–1–2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ग्राम

सदस्य, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

बीघा 19 बिस्वा भूमि की पैमाईश अनुसार पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुए पत्थरगढी की कार्यवाही करने बाबत तहसीलदार बाप को आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है । अपीलांट ने एक तरफ तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पत्थरगढी के आदेश की अपील प्रस्तुत की है जबकि अपीलांट का मुख्य कथन गलत तरमीम होने का किया जा रहा है । यदि अपीलांट को लगता है कि अपील मे वर्णित सरहद मौजा चाम्पासर के खसरा नंबर 254/1 रकबा 13.19 बीघा भूमि की तरमीम ठीक नही है तो अपीलांट तरमीम शुद्धि हेतु विधिक कार्यवाही कर सकता है। पत्थरगढी की कार्यवाही एवं आदेश एक विधिक प्रकिया है तथा कोई भी काश्तकार/खातेदार अपने खातेदारी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन/ पत्थरगढी करवाने का विधिक अधिकार रखता है । उक्त परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप ने जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–1–2018 पारित किया है, उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–1–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 4–7–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर